आदेश की संo और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल।

जमाबंदी सुधार वाद सं0– 05/2023–24

निमाई घोष
–बनाम–
16 आना रैयत, मौजा– पतौड़ा

आदेश

10-06-24 प्रस्तुत वाद आवेदक निमाई घोष, पिता– स्व० भादू घोष, साकिन– बोतलू टोला, उत्तरी सरफराजगंज, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के द्वारा जमाबंदी सुधार कर पंजी–II में दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक– 98/रा० दिनांक– 20.02.24 के द्वारा निम्नलिखित भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

भूमि का विवरण

अंचल	हल्का नं०	मौजा	थाना नं०	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा
उधवा	03	पतौड़ा	171	545	1755	01–04–04 धूर में से अंश 00–12–02 धूर
उधवा	03	पतौड़ा	171	545	1765	00–18–03 धूर में से अंश 00–12–00 धूर
उधवा	03	पतौड़ा	171	545	1764	01–09–13 धूर में से अंश 00–14–16.5 धूर

आवेदक द्वारा अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन किया है कि अंचल– उधवा अन्तर्गत मौजा– पतौड़ा, जमाबंदी नं०– 545, दाग नं०–1755, रकवा 01–04–04 धुर जमीन दुर्लब गोप व शंभु गोप व नविन गोप के नाम से खतियान में दर्ज है। उपरोक्त जमीन का आंशिक रकवा– 00–12–02 धुर जमीन मेरे निज अंश का है। उक्त जमीन का आंशिक रकवा रजिस्टर–II में चढ़ाना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में जमाबंदी नं०–545 का खतियान की ऑनलाईन प्रति, बंगला खतियान की छायाप्रति तथा उसका हिन्दी अनुवाद की छाया प्रति एवं साथ में वंशावली भी संलग्न किया है।

Scanned with OKEN Scanner

अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक– 98/रा०, दिनांक– 20.02.2024 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें राजस्व उपनिरीक्षक, उधवा एवं प्र० अंचल निरीक्षक, उधवा का जांच प्रतिवेदन संलग्न है, जिसके अनुसार प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– पतौड़ा, थाना नं०–171, ज०सं०–545, दाग सं०–1755 के राजस्व पंजी–II के अवलोकन से पाया कि राजस्व पंजी–II जीर्ण–शीर्ण (फटा) हुआ है। उक्त खतियानी भूमि अंचल अमीन के द्वारा मापी कराकर ट्रेस नक्सा प्रतिवेदन संलग्न किया है व 16 आना रैयत व खतियानी रैयत के जीवित वारीशानों को नोटिस निर्गत करने के पश्चात् उक्त खतियानी रैयत के नाम से राजस्व पंजी–II में दर्ज किया जा सकता है।

सुनवाई के क्रम में 16 आना रैयतों के नाम नोटिस निर्गत किया गया, तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। परन्तु किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गयी।

आवेदक के आवेदन, खतियान की प्रति एवं अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। दाखिल कागजात के जांचोपरांत खतियान के अनुसार अंचल–उधवा, हल्का नं०–03, मौजा–पतौड़ा, थाना सं०–171, ज०सं०–545, दाग सं०–1755, रकवा–01–04–04 धूर में से अंश रकवा–00–12–02 धूर भूमि किस्म– धानी दोयम, खतियानी दखलकार रैयत दुर्लभ गोप, शम्भू गोप व नविन गोप जाति गोवाला सा० फुदकीपुर दर्ज है, के जीवित वारिशानों के नाम से राजस्व पंजी–II में इन्द्राज करने की अनुमति दी जाती है।

इसके अलावे अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा समर्पित संलग्न प्रतिवेदन, जिसके अनुसार प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– पतौड़ा, थाना नं०–171, ज०सं०–545, दाग सं०–1765 एवं ज०सं०–545, दाग सं०–1764 के राजस्व पंजी–II के अवलोकन से पाया कि राजस्व पंजी–II जीर्ण–शीर्ण (फटा) हुआ है। उक्त खतियानी भूमि अंचल अमीन के द्वारा मापी कराकर ट्रेस नक्सा प्रतिवेदन संलग्न किया है व 16 आना रैयत व खतियानी रैयत के जीवित वारीशानों को नोटिस निर्गत करने के पश्चात् उक्त खतियानी रैयत के नाम से राजस्व पंजी–II में दर्ज किया जा सकता है। दाखिल कागजात के जांचोंपरांत खतियान में दर्ज अंचल–उधवा, हल्का नं०–03, मौजा–पतौड़ा, थाना सं०–171, ज०सं०–545, दाग सं०–1765, रकवा–00–18–03 धूर में से अंश रकवा–00–12–00 धूर खतियानी दखलकार रैयत दुलाल गोप व ज्ञान्दा घोषाईन एवं ज०सं०–545, दाग सं०–1764, रकवा–01–09–13 धूर में से अंश रकवा– 00–14–16.5 धूर भूमि किस्म– धानी दोयम, खतियानी दखलकार रैयत दुलाल गोप

Scanned with OKEN Scanner

व पुनी गोवालिन जाति गोवाला सा० फुदकीपुर दर्ज है, के जीवित वारिशानों के नाम से राजस्व पंजी–II में इन्द्राज करने की अनुमति दी जाती है।

अंचल अधिकारी, उधवा को निदेश दिया जाता है कि आवेदकों के द्वारा दाखिल कागजात के आधार पर जांचोपरांत पंजी–II में जमाबंदी सुधार हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

Digitally signed by Bimal Soren
Date: 2024.08.24 12:53:18 +05:30
Location: 10.93.59.195

Scanned with OKEN Scanner